Need to provide ownership rights of houses under PM UDAY Scheme to people living in unauthorized colonies in Delhi-Laid

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी **(**दक्षिण दिल्ली**) :** दिल्ली की 69 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को एफ्लूएंट (समृद्ध) कॉलोनी कहकर पीएम उदय योजना के अंतर्गत मालिकाना अधिकार नहीं दिए जा रहे, उन्हें भी अन्य अनधिकृत कॉलोनियों के समकक्ष मानकर मालिकाना अधिकार दिया जाए । हाईकोर्ट की भी यही भावना है ।

इन कॉलोनियों में लगभग 4 लाख लोग रह रहे हैं । दिल्ली सरकार द्वारा इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं । इन कॉलोनियों के निवासी नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं, लिहाजा इन कॉलोनियों को भी मालिकाना अधिकार दिया जाए, वैसे भी ये कॉलोनियां प्राईवेट लैंड पर ही बसी हुई हैं ।